**न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर**

**प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/3646/2006/बीकानेर**

1. गोपाल राम
2. करणा राम
3. अमोलख राम पुत्रगण नेनू राम
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम रणजीतपुरा जिला बीकानेर

**–अपीलार्थीगण**

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार

**–प्रत्यर्थी**

**खण्डपीठ**
**श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य**
**श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य**

**उपस्थित**
श्री नरेन्द्रकुमार गोयल, अपीलार्थीगण
श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, उप राजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी

**निर्णय**

**दिनांक** 11.02.2019

**द्वारा श्री मोहन लाल नेहरा–**

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13–10–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने सहायक उपनिवेशन आयुक्त, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, कोलायत के न्यायालय में प्रतिवादी प्रत्यर्थी सरकार के विरूद्ध एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण के पिता नैनूराम पुत्र रामलाल के नाम ग्राम रणजीतपुरा के खसरा नम्बर 407 रकबा 28बीघा 15बिस्वा गिरदावरी सम्वत् 2016 से 2018 में भूमि दर्ज हुई।उक्त भूमि रामलाल के फौत होने पर वादीगण के कब्जे काश्त में है। वर्तमान में उक्त रकबा चकबन्दी के दौरान चक–1बी.डब्ल्यू.एम के मु0न0 199/20 व 199/28 कुल 25बीघा भूमि पैमूद हुई। उक्त कृषि भूमि वादीगण की पुश्तैनी है मौके पर कब्जा काश्त में है। वादीगण अपने नाम की घोषणा करवाकर रिकार्ड में गैर खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है। विवादित भूमि पुख्ता सेटलमैन्ट के समय सिवाय चक दर्ज कर दी गयी व इसी खेत में बनी हुई खसरा नम्बर 813 रकबा 01बिस्वा व खसरा नम्बर 814 रकबा 02बिस्वा गैर मुमकिन कुण्ड खसरा नम्बर 815 रकबा 03बीघा 17बिस्वा गैर मुमकिन आगोर रामलाल के नाम दर्ज कर दी बाकी काश्त योग्य भूमि जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त होते हुए भी 25बीघा भूमि सिवायचक दर्ज कर दी। अतः विवादित भूमि वादीगण के नाम बतौर गैर खातेदारी दर्ज की जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार किया। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित पांच विवाद्यक कायम की। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य लिपिबद्ध कर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19–06–2003 से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध वादीगण की ओर से अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे उन्होंने अपने निर्णय 13-10-2004 से खारिज कर दिया। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष उनके पक्षकार की ओर से दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से वाद को सिद्ध कर दिया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पर विचार किये बिना सरसरी तौर पर वाद एवं अपील को खारिज कर दी। विवादित आराजी पर उनके पक्षकार का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आने से पूर्व से कब्जा है। पहले वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थीगण के पिता का कब्जा था तथा बाद में अपीलार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है किन्तु राजस्व अधिकारियों की गलती से उक्त आराजी को सम्वत् 2016 से 18 की गिरदावरी में सिवाय चक दर्ज कर दिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। उनका कथन है कि राज्य सरकार की ओर से जवाबदावा के साथ शपथपत्र प्रस्तुत नही किया, जो आवश्यक था। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे पर विचार नहीं किया जा सकता। उनका कथन है कि राज्य सरकार की ओर से वादी के गवाहान से प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा मूल वाद में कायम की गयी प्रत्येक तनकी पर विचार किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो जाप्ता दीवानी में प्रावधित प्रावधानों के विरूद्ध है। उनका कथन है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004 में जारी परिपत्र

अनुसार यदि वादग्रस्त आराजी पर लगातार पांच साल से कब्जा है तो उसको वादग्रस्त आराजी का नियमन कर देना चाहिए। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थीगण विवादित आराजी पर पिछले 60 वर्षो से काबिज काश्त है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी पर नरम रूख अपनाते हुए क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने येाग्य है। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करते हुए अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया जावे।

5. योग्य उपराजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी सम्वत् 2024 के राजस्व अभिलेख में राजकीय भूमि दर्ज है तथा विवादित आराजी वादीगण की पुश्तैनी कब्जे काश्त की भूमि नहीं रही है। उनका कथन है कि वादीगण ने विवादित आराजी पर पुश्तैनी कब्जे काश्त होने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् समवर्ती निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र मे ंवर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र के मद्देनजर विलम्ब के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते है। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाता है।

8. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण ने सहायक उपनिवेशन आयुक्त, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, कोलायत के न्यायालय में प्रतिवादी के विरूद्ध एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण के पिता नैनूराम पुत्र रामलाल के नाम ग्राम रणजीतपुरा के खसरा नम्बर 407 रकबा 28बीघा 15बिस्वा गिरदावरी सम्वत् 2016 से 2018 में भूमि दर्ज हुई। वर्तमान में उक्त रकबा चकबन्दी के दौरान चक-1बी.डब्ल्यू.एम के मु0न0 199/20 व 199/28 कुल 25बीघा भूमि पैमूद हुई। उक्त कृषि भूमि वादीगण की पुश्तैनी है मौके पर कब्जा काश्त में है। विवादित भूमि पुख्ता सेटलमैन्ट के समय सिवाय चक दर्ज कर दी गयी व इसी खेत में बनी हुई खरा नम्बर 813 रकबा 01बिस्वा व खसरानम्बर 814 रकबा 02बिस्वा गैर मुमकिन कुण्ड खसरा नम्बर 815 रकबा 03बीघा 17बिस्वा गैर मुमकिन आगोर रामलाल के नाम दर्ज कर दी बाकी काश्त योग्य भूमि जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त होते हुए भी 25बीघा भूमि सिवायचक दर्ज कर दी। वाद प्रस्तुत कर वादीगण ने विवादित भूमि उनके नाम बतौर गैर खातेदारी दर्ज में दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या-1 व 2 के निर्णय में विवादित आराजी को पुश्तैनी कब्जे काश्त की भूमि होने बाबत् वादीगण की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से उक्त दोनों तनकी को वादी को विरूद्ध निर्णीत किया है तथा तनकी संख्या 3 व 4 को

प्रतिवादी राज्य सरकार के पक्ष में सिद्ध होना मानते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया गया है। इसी प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को उक्त आधार पर खारिज कर दिया।

9. प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में राजकीय भूमि दर्ज है। अपीलार्थीगण ने विवादित आराजी पर अपने पूर्वजों के समय से लगातार काबिज काश्त होने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वादीगण विवादित आराजी पर खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं होते है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इसी तथ्य एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है।

10. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया हो। इस बाबत् विधिक स्थिति स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

11. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13-10-2004 एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, प्रथम, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19-06-2003 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

**( मोहन लाल नेहरा )**
**सदस्य**

**( शिखर अग्रवाल )**
**सदस्य**